प्रेषक

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,,
लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 15 अप्रैल, 2015**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्यरत जनपदीय परियोजना क्रियान्वयन ईकाइयों के नियंत्रण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1084/अड़तीस-4-2004, दिनांक-09.06.2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की विभागीय सहमति/अभिमत के उपरान्त यह स्पष्ट किया गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपदीय परियोजना क्रियान्वयन ईकाइयों के अधिकारी व कर्मचारी अपने मूल विभाग में ही तैनात रहकर ग्रामीण सड़क के निर्माण का कार्य करते रहेंगे, जैसाकि वर्तमान में प्रक्रिया विद्यमान है। एक बार जब यह अधिकारी/कर्मचारी, पी0आई0यू0 में तैनात कर दिये जाय, तो इनका स्थानान्तरण अभिकरण की सहमति से ही किया जायेगा, अर्थात् लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिकारी, जो पी0आई0यू0 में तैनात है, उनका भविष्य में स्थानान्तरण अभिकरण की सहमति से किया जायेगा। साथ ही किन्ही कारणों से यदि अभिकरण द्वारा किसी अधिकारी/कर्मचारी को पी0आई0यू0 से बाहर स्थानान्तरित करने की संस्तुति की जाय, तो वह संस्तुति सम्बन्धित विभाग को अनिवार्यत: स्वीकार होगी। इसके अतिरिक्त इनमें तैनात अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि देने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में निहित होगा।

2- ग्राम्य विकास विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि प्रश्नगत प्रकरण पर दिये गये अभिमत/सहमति के अनुसार कार्यकारी आदेश निर्गत करते हुये, उसकी प्रति ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को पृष्ठांकित करें, किन्तु इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना अभी तक अप्राप्त है।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग के संदर्भित शासनादेश दिनांक-09.06.2004 में की गयी व्यवस्था का अक्षरश: पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। शासनादेश के अनुपालन की नियमित समीक्षा कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।

भवदीय

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या- 33/2015/ पी-270 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2)- स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(3)- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(4)- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
(5)- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6)- मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7)- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8)- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।